TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED 24-9.2661

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COMMERCE AND INSDUSTRY DEPARTMENT OF COMMERCE

New Delhi, the 24th September, 2002

NOTIFICATION

S.O.1029 (E) In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) (Second Amendment) Rules, 2002.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Export of Fresh, Frozen and Processed Fish and Fishery Products (Quality Control and Inspection and Monitoring) Rules, 1995, for rule 16.2, the following rule shall be substituted, namely:-
 - "16.2 A monitoring fee at the rate of 0.2 percent of F.O.B. value shall be paid by the processor or the exporter to the concerned Export Inspection Agency."

[File No. 6/2/2002-EI&EP]

(M.V.P.C. Sastry)
Joint Secretary

Note: The Principal rules were published vide S.O. 730(E) dated 21st August, 1995 in the Extraordinary Gazette of India, Part II Section 3, sub-section (ii) dated 21st August, 1995 and amended, vide notification S.O. 415(E) dated 11st April, 2002.

भारत के राजपत्र असाधारण, भाग - 2, खंड-3, उपखंड (ii) तारीख 24.4.62 में प्रकाशनार्थ । भारत सरकार वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय वाणिज्य विभाग

नई दिल्ली, तारीख 24 सितम्बर 2002

आधिसूचना

(अ) केन्द्रीय सरकार निर्यात (क्वालिटी नियंत्रणण और निरीक्षण) अधिनियम, का0आ0 1963 (1963 का 22) की घारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ताजी प्रशीतित प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरी) नियम, 1995 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ताजी, प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण तथा मानीटरी) (दूसरा संशोधन) नियम, 2002 है ;
 - (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- ताजी प्रशीतित और प्रसंस्कृत मछली और मछली उत्पाद निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और 2. निरीक्षण तथा मानीटरी) नियम, 1995 में, नियम 16.2 के स्थान पर निम्नतिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-
- 16.2 प्रसंस्करणकर्ता या निर्यातकर्ता संबंद्ध निर्यात निरीक्षण अभिकरण को पोत पर्यंत मूल्य के 0.2 प्रतिशत की दर पर मानीटरी फीस संदत्त करेगा ।

[फा0 सं0 6/2/2002-ई0आई0 एप्ड ई0पी0]

[एम० वि०पि०सि० शास्त्री] संयुक्त सचिव

टिप्पण:

1

मूल नियम, भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उप खंड (ii) तारीख 21 अगस्त, 1995 में का0आ0 730 (अ) तारीख 21 अगस्त, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सँ० का०आ० 415 (अ), तारीख 11 अप्रैल. 2002 द्वारा संशोधित किए गए थे ।